

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/21


जयपुर, दिनांक: 18.02.2021

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री हिमांशु शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी, आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध
2.	श्री मनोज बंशीवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	रिक्त पद पर
3.	राजीव कुमार मीना, कनिष्ठ विधि अधिकारी	कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-1), सचिवालय जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध

आज्ञा से


(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव